



अंचल अधिकारी का न्यायलय सरिया, (गिरिडीह)

E- Revenue Court वाद सं०- 12 / 2022 - 21

मौजिदार विद्याल,
पिता - निरिवर विद्याल, लालिन - मन्दरामो
बनाम्

उत्पलार मिथो वगैरे, पिता - रौपन मिथो
लालिन - मन्दरामो, भाना - ललिथ

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी
	<p>जमाबंदी रैयत- मौजिदार विद्याल पिता/पति- निरिवर विद्याल मौजा- मन्दरामो के खाता सं०- 305 प्लॉट सं०- 2183 रकवा- 1.51 5/10 तथा जमाबंदी रैयत- उत्पलार मिथो वगैरे पिता/पति- रौपन मिथो का मौजा मन्दरामो के खाता सं०- 154 प्लॉट सं०- 1631 रकवा- 6 5/10 की जमाबंदी पंजी II के भाग सं०- 10 पृष्ठ सं०- 30 तकनीकी समस्या के कारण एक ही साथ दर्ज हो गई है। दोनों पक्षों को नोटिस किया गया, नोटिस के आलोक में दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर अपना-अपना जमाबंदी अलग करने का सहमति पत्र दिया। अतः राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर तथा उभय पक्षों की सहमति के आधार पर उक्त जमाबंदी में सुधार करने का आदेश दिया जाता है।</p>	

अंचल अधिकारी,
सरिया।